

FROM :

FAX NO. : 0522 2239076

21 Sep. 2016 05:34PM P 001

दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1 के खण्ड (क) में आवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1  
संख्या-1338/79-वि-1-16-1(क)18/2016  
लखनऊ:दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रयोग पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुगति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

SD. 2  
*[Signature]*  
मौ (श्री चन्द्र हिवेदी)  
विशेष कार्याधिकारी  
रास्थागत वित कर एवं निवन्धन निमान  
उत्तर प्रदेश शासन।

रणनाथ पाण्डेय,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1338(1)/79-वि-1-16-1(क)18/2016, तददिनांक  
प्रतिलिपि निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, कर एवं निवन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की मूल प्रति के साथ।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 7- नहामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 8- संसदीय कार्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 9- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 10- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 11- विधायी अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

*[Signature]*  
राजेश सिंह  
विशेष सचिव एवं अपर  
विधि परामर्शी।

एड० कान०  
(Law)

21.09.2016

2440  
21-9-2016

*[Signature]*  
AC/PS  
21/9/16

**उत्तर प्रदेश सरकार 18 अगस्त 2016**

**आधिकारी**

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधिक, 2016

(जिसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

**मार्गी**

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

**विधायक** **आधिकारी**

मारत गणराज्य के संघसभे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—गह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) शाकेत नाम अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
३०, राम् २००७ की  
पारा २ का  
संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय बोर्ड में गाल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३०, राम् २००७) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की, धारा २ में, उपचारा (१) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (नी) के पश्चात निन्म उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(दस) कोई ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, आनलाईन क्रय अथवा ई-कारबर्त के माध्यम से, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा गाल प्राप्त करने का इरादा रखता हो।"

पारा ४—क का  
बदला जाना

३—मूल अधिनियम की पारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नई पारा ४—क बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"४—क. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये गी, कमिशनर ई-कारबर्त के परिपत्र द्वारा ऑनलाईन क्रय या ई-कारबर्त द्वारा स्थानीय बोर्ड में, माध्यम से लायी गयी विनिर्दिष्ट गाल के प्रवेश पर कर संग्रहीत करने की सरल प्रक्रिया बस्तुओं पर बना सकते हैं तथा ऐसी प्रक्रिया के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टर/कर का कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य के बाहर से राज्य के भीतर, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा गाल प्राप्त करने का इरादा रखता हो, से कर के संग्रहण की प्रक्रिया भी उपबन्धित की जा सकती है तथा ऐसा ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति ऐसी शैली से जो उसके अधीन अवधारित की जाए, इस अधिनियम के अधीन देय कर के गुणात्मक के लिए दायी होगा।"